न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः विकास सीताराम जी भाले, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या — 113 / 2016 अपील (RCMS/2016/00087)
पंजीयन दिनांक — 08.11.2016
निर्णय दिनांक — 11.09.2019

1. श्री खेमराज पिता श्री पेमा ब्राह्मण, निवासी मोडी, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर।

—अपीलान्ट

बनाम

1. श्री मानसिंह पिता रूपा चदाणा, निवासी मोडी, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर।
2. श्री भागीरथ पिता वाला ब्राह्मण, निवासी मोडी, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर।
3. श्री गंगाराम पिता वाला ब्राह्मण, निवासी मोडी, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर।
4. श्री चुन्नीलाल पिता पृथ्वीराज ब्राह्मण, निवासी मोडी, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर।
5. श्री नारायण पिता पृथ्वीराज ब्राह्मण, निवासी मोडी, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर।
6. श्री भेरूलाल पिता खेमराज ब्राह्मण, निवासी मोडी, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर।
7. श्री गेहरीलाल पिता खेमराज ब्राह्मण, निवासी मोडी, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर।
8. श्री भेरूसिंह पिता भीमा चदाणा, निवासी मोडी, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर।
9. श्री गंगासिंह पिता भीमा चदाणा, निवासी मोडी, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर।
10. श्री लालसिंह पिता भीमा चदाणा, निवासी मोडी, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर।
11. श्री लालसिंह पिता उदा चदाणा, निवासी मोडी, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर।
12. मु. अणछी बेवा उदा चदाणा, निवासी मोडी, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर।
13. श्री अम्बावा पिता कीका चदाणा, निवासी हरचन्द की भागल, मजरा मोडी, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर।
14. श्री कनसिंह पिता अमरिंग चदाणा, निवासी हरचन्द की भागल, मजरा मोडी, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर।
15. श्री वजेसिंह पिता अमरिंग चदाणा, निवासी हरचन्द की भागल, मजरा मोडी, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर।
16. श्री केसा मुतबन्ना परथा चदाणा, निवासी हरचन्द की भागल, मजरा मोडी, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर।
17. श्री नाहरसिंह पिता गुला चदाणा, निवासी हरचन्द की भागल, मजरा मोडी, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर।
18. मु. चुन्नीबाई बेवा गुला चदाणा, निवासी हरचन्द की भागल, मजरा मोडी, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर।
19. श्री केसा पिता लाडू चदाणा, निवासी हरचन्द की भागल, मजरा मोडी, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर।

—रेस्पोडेन्टस्

उपस्थितिः–

1. श्री सम्पतलाल बोहरा – वकील अपीलान्ट
2. श्री खेमराज ड़ांगी – वकील रेस्पोडेंट संख्या–1

प्रकरण संख्या–100/2010, श्री मानसिंह बनाम श्री खेमराज व अन्य में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गोगुन्दा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 2.06.2016 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 11.09.2019

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गोगुन्दा जिला उदयपुर द्वारा प्रकरण संख्या–100/2010, श्री मानसिंह बनाम श्री खेमराज व अन्य में पारित आदेश दिनांक 2.06.2016 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य प्रस्तुत अपील, अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर निम्न प्रकार है–

- वर्तमान अपील के प्रत्यर्थी संख्या–1 श्री मानसिंह द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि मोजा मेडी में आराजी नम्बर 2296 रकबा 0.1300 हैक्टेयर लगानी 26 पैसा स्थित होकर श्री मानसिंह के खातेदारी एवं आधिपत्य की है। उक्त आराजी के दक्षिण दिशा में श्री खेमराज की आराजी संख्या–2296 व प्रत्यर्थी संख्या–2 व 3 की आराजी नम्बर 4495/2299 स्थित है। श्री मानसिंह और खेमराज, विपक्षी संख्या–2 व 3 की आराजीयात के मध्य पाली है। इसी तरह उसके आराजी के उत्तर दिशा में विपक्षी संख्या–4 से 9 की आराजी 4457/2296 स्थित है जिसके मध्य भी पाली बनी हुई है। श्री खेमराज उसकी आराजी की दक्षिणी पाली को हांक कर अपनी आराजी में मिला रहा है। इसी तरह विपक्षी संख्या–4 से 9 भी मानसिंह की आराजी की उत्तरी दिशा की पाली कों हाक पर श्री मानसिंह की भूमि को हडपना चाहते है। खेमराज एवं अन्य विपक्षीगण श्री मानसिंह से लडाई झगड़ा करते है। भूमि के जबरन कब्जा करने से विवाद बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में वर्तमान अपील के प्रत्यर्थी संख्या–1 श्री मानसिंह ने उसके आराजी नम्बर 2296 रकबा 0.1300 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराये जाने का आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया।

- प्रकरण दर्ज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गोगुन्दा द्वारा प्रकरण को दिनांक 2.06.2016 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार शिविर में पेश कर निर्णय दिनांक 2.06.2016 पारित किया कि ''प्रार्थी आराजी नम्बर 2296 रकबा 0.1300 है. भूमि की पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है जो प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 1 के अलावा सभी अप्रार्थीगण बावजुद सूचना अनुपस्थित रहे है जिससे प्रतीत होता है कि अप्रार्थीगण को भी पत्थरगढ़ी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। अतः मौजा मोडी पटवार क्षेत्र मोडी की आराजी नम्बर 2296 रकबा 0.1300 है. भूमि की अप्रार्थीगण के कब्जे में दखल दिये बिना दोनों पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी किये जाने हेतु तहसीलदार, गोगुन्दा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है।''

अपीलार्थी द्वारा उक्त निर्णय से क्षुब्ध होकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गोगुन्दा के निर्णय दिनांक 2.06.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में अपील दिनांक 08.11.2016 को प्रस्तुत की गई। यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील अपीलान्ट व वकील रेस्पोडेंट संख्या–1 उपस्थित, अन्य प्रत्यर्थीगणों की ओर से बाद तामिल कोई उपस्थित नहीं। उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 27.08.2019 को सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील एवं लिखित बहस में प्रस्तुत किया है कि विवादित भूमि के सम्बन्ध में काफी वर्ष पूर्व में भी पत्थरीगढ़ी हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। अपीलार्थी का कब्जा विवादित भूमि पर वर्षो पूर्व से चला आ रहा है। जिससे उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया गया था। परन्तु प्रत्यर्थी संख्या–1 द्वारा पुनः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–128 एलआर एक्ट का पेश किया गया जिस पर अपीलार्थी द्वारा उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया। दौराने कार्यवाही विपक्षी संख्या–4, 7, 10, 17, 20, 23 का देहावसान हुआ, जिसमें से विपक्षी संख्या–10 व 23 के नामकायमी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए तथा उनके वारिसान की तामिल नहीं हुई तथा अन्य मृतक के नामकायमी की कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस मामलें में पेशी दिनांक 21.04.2016 को नियत थी परन्तु बिना किसी सूचना के पत्रावली दिनांक 02.06.2016 को कैम्प में रख दी और कुछ मरे हुए पक्षकारों के खिलाफ भी आदेश पारित कर दिया जो बिना अधिकार के होकर वोइड है। कथित आदेश से पूर्ण अपीलार्थी को कोई सूचना ही नहीं दी गई, मर्जीमकसूद तरिके से बिना अपीलान्ट को सुने व शहादत सबूत का मौका दिये बिना आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामिलों के बारे में भी जांच नहीं की गई। ऐसी स्थिति में पारित आदेश न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्तों के विपरित होकर काबिल निरस्त की है। अपीलार्थी को कथित आदेश का कोई ज्ञान नहीं था। अपीलार्थी दिनांक 23.09.2016 को पेशी के सम्बन्ध में पुछने आये जो उक्त निर्णय की जानकारी होते ही नकल प्राप्त वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई जिसकी देरी क्षम्य किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 मयाद अधिनियम पृथक से अपील के साथ संलग्न किया है। मृत व्यक्यिों के खिलाफ पारित आदेश वोइड है तथा वोइड आदेश के सम्बन्ध में मयाद का बिन्दु लागु नहीं होता है। ऐसे वोईड आदेश को कभी भी निरस्त किया जा सकता है। अपने कथन के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा न्यायिक दृष्टांत (RRT 2016-17 SUPP. 566, RRT 2018(2) P.864, RRT 2006-07 SUPP. 208, RRD 1993 P.220, RRT 2003(1) P.236, RRD 1992 P.634) पेश किए। अन्त में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा मयाद कन्डान कर, अपील अपीलान्ट मेरिट के आधार पर स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय अपास्त करने कर अनुरोध किया है।

विद्वान वकील रेस्पोडेंट संख्या–1 ने बहस में प्रस्तुत किया है कि आराजी संख्या–2296 रकबा 0.1300 हैक्टेयर भूमि प्रत्यर्थी संख्या–1 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15.12.2019 को राजस्व अभिलेख में दर्ज खातेदार से क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया जिसका वर्णन विक्रय पत्र में किया गया। उक्त विक्रय के आधार पर प्रत्यर्थी के नाम नामान्तरकरण संख्या–529 दिनांक 23.04.2010 को स्वीकृत किया गया और तब से प्रत्यर्थी का उस भूमि पर कब्जा चला आ रहा है। अपीलार्थी उक्त आराजी पर कोई हक व अधिकार रखता है या पाना चाहता है तो वह सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करे। साथ ही अपीलार्थी उक्त बिकावनामें को निरस्त कराये बिना इस जमीन के सम्बन्ध में कोई उजर प्रस्तुत नहीं कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपीलार्थी उपस्थित हुए और उनकी उपस्थिति में निर्णय पारित किया गया। अन्य पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय समक्ष उपस्थित नहीं हुए जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनकी सहमति स्वरूप पत्थरगढ़ी के आदेश पारित किए। पत्थरगढ़ी के आदेश में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्पष्ट वर्णन किया गया है

कि मौजा मोडी पटवार क्षेत्र मोडी की आराजी नम्बर 2296 रकबा 0.1300 है. भूमि की अप्रार्थीगण के कब्जे में दखल दिये बिना दोनों पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी की जावें, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की कब्जेशुदा भूमि पर दखल दिये जाने का प्रश्न उजर नहीं होता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील विलम्ब से पेश की गई जिसके प्रस्तुत कारण संतोषजनक नहीं है, अपीलार्थी कैम्प कोर्ट में उपस्थित हुआ है, आलौच्य निर्णय की अपीलार्थी को पूर्ण जानकारी थी, ऐसी स्थिति में अपील मयाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है। अन्त में विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या–1 ने अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय निर्णय यथावत रखे जाने का अनुरोध किया है।

हमने उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया, प्रस्तुत नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया एवं पत्रावलियों का अधिवक्तओं द्वारा प्रस्तुत तर्क व दस्तावेजों के परिपेक्ष्य में गहनता से अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि विपक्षी संख्या–10 व 23 के मृत होने की स्थिति में श्री मानसिंह द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–22 नियम 4 सपठित धारा–151 जा.दी. के प्रस्तुत किए गए। जिस पर विपक्षी संख्या–23 के नामकायमी का आदेश दिनांक 08.12.2011 को पारित किया गया और श्री मानसिंह को संशोधित अनवान एवं वारिसान के सम्मन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। परन्तु पत्रावली पर संशोधित अनवान प्रस्तुत नहीं किया एवं यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि वारिसान के सम्मन प्रस्तुत किए गए। विपक्षी संख्या–10 के नामकायमी प्रार्थना पत्र पर कोई आदेश पारित किया जाना प्रकट नहीं होता है। प्रश्नगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के पत्रावली पर प्रकरण को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा अभियान शिविर में रखे जाने की सूचना जारी नहीं की गई। अभिलेख के अवलोकन से यह कही ज्ञात नहीं होता है कि प्रत्यर्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि उन्हे मृतक के विविध प्रतिनिधियों को प्रतिस्थापित नहीं करने के सम्बन्ध में छुट दी जाए। बिना छुट के अभाव में मेरी सुविचारित राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.06.2016 अकृत है क्योंकि वह मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित किया गया। प्रत्यर्थीगण में से उक्त प्रत्यर्थीयों का स्वर्गवास उपखण्ड अधिकारी, गोगुन्दा के यहा प्रकरण लम्बित रहते हुआ, इस कारण उनके विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लेकर कार्यवाही की जानी चाहिए।

दौराने बहस, अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा उजर किया गया कि पत्रावली दिनांक 05.11.2018 को पत्रावली वास्ते तलवी नियत थी, परन्तु बिना सूचना प्रकरण राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा शिविर में रखी गई। अपीलार्थी के इस तर्क की पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख से होती है। आलौच्य आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा अभियान शिविर में रखी जाकर दिनांक 02.06.2016 को पारित किया गया, इस हेतु राज्य सरकार के निर्देशानुसार पक्षकारों को शिविरों/लोक अदालत में उपस्थित होने हेतु तामिल सुनिश्चित की जानी होती है, परन्तु इस सम्बन्ध में त्रुटिकारित की गई। उल्लेखनीय है कि किसी पत्रावली का न्यायिक निस्तारण केवल न्यायालय परिसर में ही किया जा सकता हे, केवल राजीनामा व सहमति के आधार पर पत्रावलियों का निस्तारण न्यायालय के अतिरिक्त किसी कैम्प में विधि अनुसार किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा कैम्प कोर्ट में निस्तारित किया गया जिसे हेतु विधि की पालना न करते हुए सभी पक्षकारों पर तामिल नहीं होने एवं अन्य पक्षकारों की अनुपस्थिति में लोक अदालत की भावना के विरूद्ध पारित किया गया है। उक्त परिस्थितियों में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत भी हस्तगत प्रकरण से सुसंगत होकर चस्पा होते है।

उक्त अकृत/अविधिक निर्णय के सम्बन्ध में मयाद का बिन्दु लागु नहीं होता है। माननीय सर्वोच्य न्यायालय एवं राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह सिद्वान्त प्रतिप्रादित किया है कि देरी माफी के लिये लचीला रूख रखा जाना चाहिए। सर्वोच्य न्यायालय ने यह भी कहा है कि देरी को माफ नहीं करने से कई महत्वपूर्ण बिन्दु न्याय से वंचित हो जाते है। ऐसी स्थिति में मामला गुणावगुण पर विचारण योग्य होने से एवं सुलभ न्याय के सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान को तकनीकी आधार पर न्याय से वंचित किया जाना उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त अपील की मियाद को माफ किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है और प्रकरण का गुणावगुण पर विनिश्चय करना उचित समझते हैं। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील की उपरोक्त विवेचनानुसार मियाद माफी के प्रार्थनापत्र को स्वीकार किया जाकर अपील को मियाद में माने जाने के आदेश दिये जाते हैं।

दौराने बहस, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या–1 द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि आराजी संख्या–2296 रकबा 0.1300 हैक्टेयर भूमि प्रत्यर्थी संख्या–1 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15.12.2019 को राजस्व अभिलेख में दर्ज खातेदार से क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया जिसका वर्णन विक्रय पत्र में किया गया। उक्त विक्रय के आधार पर प्रत्यर्थी के नाम नामान्तरकरण संख्या–529 दिनांक 23.04.2010 को स्वीकृत किया गया और तब से प्रत्यर्थी का उस भूमि पर कब्जा चला आ रहा है। उक्त तर्क के खण्डन में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि पर अपने कब्जे के सम्बन्ध में कथन किए। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख से यह कही भी ज्ञात नहीं होता है कि पक्षकारों के उजरों से सम्बन्धित राजस्व अभिलेखों की जांच की गई हो या उन्हे अभिलेख पर लिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय आलौच्य निर्णय पारित किये जाने पूर्व पूर्णतया निर्धारित विधिक प्रक्रिया का पालना नहीं किया गया और न ही प्रचलित अधिनियमों के विभिन्न कानूनी बिन्दुओं पर विचार एवं विश्लेषण किया। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा कैम्प कोर्ट में जो निर्णय दिनांक 02.06.2016 को पारित किया, वह किसी भी प्रकार से विधि सम्मत नहीं है।

अतः उपरोक्त सम्रग विवेचनानुसार प्रश्नगत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, गोगुन्दा द्वारा पारित निर्णय 02.06.2016 निरस्त किया जाता है। प्रकरण उन्हें इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतक पक्षकारों के सभी विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लेकर, समस्त पक्षकारों को पर्याप्त व समुचित सुनवाई का अवसर देते हुए, प्रस्तुत दस्तावेजों का विधि सम्मत परिक्षण कर, एवं जांच करा गुणावगुण के आधार पर विधि अनुसार पुनः निर्णय पारित करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 11.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास सीतारामजी भाले)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर